न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड़, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :– 04/2023(पुरानी–01/2021)
प्रविष्टि दिनांकः– 18.10.2023(पुरानी–22.01.2021)
निर्णय दिनांक :–05.06.2024

::–उनवान–::

1. नारायण पुत्र रामकरण जाति माली निवासी संवारिया तहसील टोडारायसिंह जिला केकड़ी राजस्थान

–अपीलान्ट

बनाम

1. तहसीलदार टोडारायसिंह जिला केकड़ी।

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0लै0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह दिनांक 13.10.2020 पत्रावली सं. 898/2020 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम

उपस्थित :

1. श्री शिवप्रसाद पाराशर, श्री शैलेन्द्र जैन, फरीद खान, रविशंकर, अभिनव अग्रवाल, आदिल कुरेशी अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. पेरोकार सरकार अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

::–निर्णय–:: **दिनांक 05.06.2024**

1. अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि **अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार टोडारायसिंह** ने अपने **निर्णय दिनांक 13.10.2020** पत्रावली सं. 898/2020 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि **खसरा नम्बर 131 रकबा 1.22 है0 किस्म चरागाह वाके ग्राम संवारिया पर पश्चातवर्ती अतिकमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 1 माह की सिविल कारावास की सजा** से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार टोडारायसिंह के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।
2. अधीनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा अपने निर्णय दिंनाक 13.10.2020 के द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए आराजी खसरा नम्बर 131 रकबा 1.22 हेक्टर वाके ग्ग्रम सवांरिया तहसील टोडारायसिंह से बेदखल, लगान 6.10 रू0 का 50 गुना पेनल्टी कुल 305 रू0 आयद करने, खडी फसल

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

को जप्त करने तथा एवं एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का निर्णय पारित किया है। उपरोक्त निर्णय के विरूद्ध यह अपील निम्न में से कुछ कारणों पर प्रस्तुत है–

1. यह कि योग्य अधीनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य हैं।

2. यह कि योग्य अधीनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया और नोटिस दिया जाकर उसकी विधिवत रूप से अपीलाटं की व्यक्तिशः तामील नही करवायी और बिना तामील के अपीलान्ट को उक्त कठोर निर्णय से दण्डित करने में कानूनी गलती की है।

3. यह कि अधीनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही साक्ष्य सबूत का अवसर दिया गया और बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये ही अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा मे निर्णय पारित करने मे गलती की है। निर्णय विधि मे दिये हुए प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4. यह कि उपरोक्त भूमि चरागाह भूमि नहीं है बल्कि वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 131, साबिक खसरा नम्बर 1/34 से बने है और भूमि खसरा नम्बर 1/34 रकबा 5 बीघा बारानी–3 वाके ग्रम सवारिय। तहसील टोडारायसिंह अपीलान्ट के पिता रामकरण पुत्र सुखदेव जाति माली निवासी सवारिया को भूमिहीन काश्तकार होने व उस पर रामकरण का पुराना कब्जा होने के कारण भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से दिनांक 26.11.75 को आवंटन की गई थी तथा मोके पर कब्जा सुपुर्द किया गया था तब से इस भूमि पर आवंटी बहैसियत गेरखातेदार के रूप में अपने जीवन काल तक काबिज रहा, उसके उपरान्त उक्त भूमि पर अपीलांट व उसका भाई व मां काबिज चले आ रहे है तथा मोके पर लगातार काश्त करते आ रहे है।

5. यह कि साबिका खसरा नम्बर 1 मिन का काफी बडा रकबा था मोके पर साबिका ख.न. 1 व साबिका ख.न. 77/1857 मिन अडाकर है राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा खसरा नम्बर खसरा नम्बर 131 को गलत से साबिका 77/1857 मिन से बनाना बताया है जबकि मोके व शीट की स्थिति के अनुसार खसरा नम्बर 131 रकबा 1.22 हेक्टर साबिका खसरा नम्बर 1/34 से बनना सही प्रतीत होता है। इसलिए अपीलान्ट व उसके भाई एवं माता ने मिलान क्षेत्रफल को मोके अनुसार खसरा नम्बर 131 रकबा 1.22 हे. को साबिका खसरा नम्बर 77/1857 के बजाय साबिक खसरा नम्बर 1/34 से बनना राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाये जाने हेतु सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह के यहां वाद उनवानी रोडू आदि बनाम जिला कलेक्टर टॉक आदि वाद संख्या 157/2005 प्रस्तुत कर रखा है।

6. यह कि उक्त भूमि प्रथम तो चरागाह भूमि नहीं है बल्कि उक्त भूमि की किसम शुरू से बारानी–3 रही है द्वितीय उक्त भूमि अपीलांट के पिता को विधिवत रूप से आवंटित की गई थी जिस पर आवंटी अपने जीवन काल तक बहैसियत मालिक, स्वामी के काश्त करता रहा है और वर्तमान में उक्त भूमि को अपीलांटव उसके परिवार जन काश्त करते आ रहे है।

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

7. यह कि पटवारी हलका द्वारा उक्त भूमि ख.न. 131 रकबा 1.22 हे. को साबिका ख.न. 77/1857 से बनना मानते हुए गलत रूप से अपीलांट के प्रतिकूल कब्जे की रिपोर्ट की है जबकि यह भूमि ख0न. 131 साबिका खसरा नम्बर 77/1857 से नहीं बनी है बल्कि मोके अनुसार यह भूमि साबिका ख.न. 1/34 से बनी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का न तो किसी चरागाह भूमि पर आज तक कब्जा रहा है और न ही वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। उपरोक्त तथ्य पर तहसीलदार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और पटवारी हलका की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सजायाब करने में कानूनी गलती की है।

8. यह कि अधीनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह ने एक ही निर्णय के द्वारा अपीलांट को चार सजाये क्रमशः बेदखल करने, पेनल्टी आरोपित करने, फसल जप्त करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है। कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजाये एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ तहसीलदार का निर्णय अवेध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

9. यह कि अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय का पूर्व में कोई जानकारी नही थी क्योंकि उक्त निर्णय एकतरफा मे पारित किया गया हे। उक्त निर्णय की अपीलांट को दिनाक 22.12.2020 को उक्त निर्णय की पालना में पुलिस कर्मी अपीलान्ट की अदम मौजूदगी मे उसके घर जाने पर अपीलांट को उसके परिवार जनों द्वारा बताये जाने पर हुई। जिस पर अपीलांट ने उक्त निर्णय की नकल लेने के लिए उसी दिन तहसील में प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल 23.12.2020 सांयकाल प्राप्त हुई और उसके पश्चात खर्चे इन्तजाम कर जानकारी से बिना किसी देरी के आज यह अपील पेश की जा रही है। अपील पेश करने में फिर भी यदि कोई देरी मानी जाये तो उसे कन्डोन करने के लिए अलग से धारा 5 लि०एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

10. यह कि अन्य कारण वरवक्त बहस मौखिक रूप से निवेदन किये जावेगें।

11. यह कि अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश हे।

अतः अपील पेश कर निवेदन हे कि अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह का निर्णय दिनाक 13.10.2020 को निरस्त फरमाया जाये।

3. अपीलांट द्वारा अपील प्रार्थना पत्र न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, टोंक के समक्ष प्रस्तुत की गई। राज्य सरकार के आदेश से नवगठित जिला केकड़ी में गठन उपरान्त यह पत्रावली स्थानान्तरित होकर प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। तलबी रेस्पोडेण्ट जरिये सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

4. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया और नोटिस दिया जाकर उसकी विधिवत रूप से अपीलाटं की व्यक्तिशः तामील नही करवायी और बिना तामील

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

के अपीलान्ट को उक्त कठोर निर्णय से दण्डित करने में कानूनी गलती की है तथा अधीनस्थ तहसीलदार टोडारायसिंह ने उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही साक्ष्य सबूत का अवसर दिया गया और बिना साक्ष्य सबूत का अवसर दिये ही अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा मे निर्णय पारित करने मे गलती की है। निर्णय विधि मे दिये हुए प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि उपरोक्त भूमि चरागाह भूमि नहीं है बल्कि वास्तविकता यह है कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 131, साबिक खसरा नम्बर 1/34 से बने है और भूमि खसरा नम्बर 1/34 रकबा 5 बीघा बारानी–3 वाके ग्रम सवारिया तहसील टोडारायसिंह अपीलान्ट के पिता रामकरण पुत्र सुखदेव जाति माली निवासी सवारिया को भूमिहीन काश्तकार होने व उस पर रामकरण का पुराना कब्जा होने के कारण भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से दिनांक 26.11.75 को आवंटन की गई थी तथा मोके पर कब्जा सुपुर्द किया गया था तब से इस भूमि पर आवंटी बहैसियत गेरखातेदार के रूप में अपने जीवन काल तक काबिज रहा, उसके उपरान्त उक्त भूमि पर अपीलांट व उसका भाई व मां काबिज चले आ रहे है तथा मोके पर लगातार काश्त करते आ रहे है तथा पटवारी हलका द्वारा उक्त भूमि ख.न. 131 रकबा 1.22 हे. को साबिका ख.न. 77/1857 से बनना मानते हुए गलत रूप से अपीलांट के प्रतिकूल कब्जे की रिपोर्ट की है जबकि यह भूमि ख0न. 131 साबिका खसरा नम्बर 77/1857 से नहीं बनी है बल्कि मोके अनुसार यह भूमि साबिका ख.न. 1/34 से बनी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का न तो किसी चरागाह भूमि पर आज तक कब्जा रहा है और न ही वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। उपरोक्त तथ्य पर तहसीलदार ने भी कोई ध्यान नहीं दिया और पटवारी हलका की गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को सजायाब करने में कानूनी गलती की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमावें।

5. अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत तामिल हुई है। अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिक्रमी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नहीं है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय पेरोकार की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से जाहिर आया है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे स्वयं उपस्थित हुआ है। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। जिस आराजी पर अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने अतिक्रमी माना है वह जमाबन्दी रिकॉर्ड अनुसार चारागाह भूमि है जो कि प्रतिबंधित श्रेणी की है। अपीलाण्ट द्वारा स्वयं को अपीलाण्ट के पिता को आंवटन होना बताया है। जबकि इस बाबत कोई साक्ष्य/दस्तावेज पेश नही किये है।

7. **प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा देरी के कारण को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त आधारों पर तथा न्याय हित में मियाद कण्डोन कर प्रार्थना पत्र श्रवणार्थ ग्रहण की जाता है।**

8. फलतः **अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.10.2020 पत्रावली सं0 898/2020 के जरिये की गई दोष सिद्धी एवं अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार टोडारायसिंह**

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी

यह सुनिश्चित करेंगे कि निवर्तमान में अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नहीं हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है।

निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैशल में शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश धाकड़)
पीठासीन अधिकारी
अति. जिला कलक्टर
केकड़ी

(दिनेश धाकड़)
अति. जिला कलक्टर, केकड़ी